इजराय प्रार्थना पत्र | कासम खाँ V/s भाटी खाँ 35/2007

6/11/24 — पत्रावली पेश हुई। वादी आदि० 350 प्रकरण शासकीय आदेश में दिनांक 18/11/24 को पेश हो

18/11/24 — पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी आदि० उप०। पत्रावली इजराय की पालना इन्तजार हेतु दिनांक 28/11/24 को पेश हो।
18/11/24

28/11/24 — पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी आदि० 350 प्रकरण शासकीय आदेश में दिनांक 9/12/24 को पेश हो

9/12/24 — पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय बार एसोसियशन का कार्य स्थगन किया हुआ है। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त है। पत्रावली साधिक आदेश दिनांक 24/12/24 को पेश हो।
आज्ञा से रीडर

24/12/24 — पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उप०। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब पेश किया गया, शा. श्रि. किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार इजराय प्रार्थना पत्र सं. 35/07 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुरूप नामान्तरण सं. 4826 निर्णय दिनांक 21/6/2007 से स्वीकृत होकर पालना पूर्ण हो चुकी है। प्रस्तुत दस्तावेजात/जवाब का अवलोकन किया गया। प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा वाद संख्या 282/2006 में पारित निर्णय की पालना हो चुकी है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत इजराय प्रार्थना पत्र सं. 35/07 अन्तर्गत आदेश 21 नियम 11 जा. दीवानी के निर्णित किया जाता है। निर्णय स्टेट इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर